

07.01.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2017 / 00348

अपील संख्या 95 / 2017 (225)

उनवान: माया बनाम उम्मेदसिंह

व्कुलाय उप.। वकील प्रत्यर्थी ने अधी. न्याया के निर्णय की फोटो प्रति पेश की। अधी. न्याया में मूल वाद दिनांक 31.08.2018 एवं प्रा.पत्र 212 दि. 6.9.18 को खारिज हो चुका है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।